राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड़, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

CIC/AJMR/A/2018/105739

अपील संख्या : 105739/2018

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री मुकेश गैना, तेजाजी मन्दिर के पास, तबीजी, जिला अजमेर (राज.)		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, ग्राम पंचायत तबीजी, पंचायत समिति पीसागंन, जिला अजमेर (राज.)

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांकः 24/05/2019

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से श्री विजय कुमार, सचिव, उपस्थित।
3. मैंने प्रत्यर्थी को सुना तथा पत्रावली में उपलब्ध पत्रादि का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने आवेदन दिनांक 20.04.2018 से श्री शिवशंकर सोनी व कालूराम सोनी को पंचायत द्वारा जारी पट्टों की प्रति उपलब्ध करवाए जाने की मांग की। सही सूचना नहीं मिलने तथा प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के कारण अपीलार्थी ने अन्ततः द्वितीय अपील आयोग में प्रस्तुत की।
5. आयोग द्वारा जारी नोटिस के संदर्भ में प्रत्यर्थी ने अपीलोत्तर दिनांक 04.01.2019, जिसकी प्रतिलिपि अपीलार्थी को भी प्रेषित है, द्वारा यह सूचित किया कि अपीलार्थी को पत्र दिनांक 08.05.2018 से यह अवगत करवा दिया गया था कि चाही गई सूचना तृतीय पक्षकार की व्यक्तिगत सूचना होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(जे) के अंतर्गत नहीं दी जा सकती। प्रति संलग्न की।

राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड़, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

6. आज सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी का तर्क रहा कि अपीलार्थी को विनिश्चय से अवगत करवा दिया गया है, एवं अन्य कोई सूचना दिया जाना शेष नहीं है।
7. अपीलोत्तर पर अपीलार्थी की ओर से प्रतिकार दिनांक 16.01.2019 प्राप्त हुआ है जिससे सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने का आक्षेप किया।
8. अपीलार्थी द्वारा किया गया आक्षेप बलहीन है तथा प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित है। इस आलोक में अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील खारिज किया जाना समीचीन है।
9. अस्तु, अपील, उपरोक्तानुसार खारिज की जाती है।
10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. निर्णय घोषित।

(आशुतोष शर्मा)

Sajan सूचना आयुक्त